

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 12(6) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 16/8/24

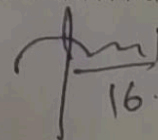
:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(1) एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष राज्य सरकार की ओर से आपराधिक प्रकरणों के संचालन/पैरवी करने हेतु निम्नांकित सूची के कॉलम संख्या-02 में वर्णित अधिवक्तागण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-04 में वर्णित पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक, के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम अधिवक्ता (सर्वश्री/श्रीमती/ सुश्री)	पंजीयन क्रमांक	पदनाम
1	2	3	4
1.	समीर पारीक	आर/369/2009	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
2.	उर्जा राम कालबी	आर/706/2011	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
3.	प्रेम सिंह	आर/214/1992	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
4.	चन्द्रशेखर ओझा	आर/168/1994	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
5.	सुरेन्द्र विश्मोई	आर/1058/2001	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
6.	हनुमान प्रजापति	आर/737/2004	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
7.	राजेश भाटी	आर/516/1997	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
8.	श्रीराम चौधरी	आर/3787/2007	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
9.	सोनू मानावत	आर/198/2010	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
10.	धनराज वैष्णव	आर/3127/2004	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
11.	हाथी सिंह जोधा	आर/1256/2004	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
12.	कमलेश कुमार रावल	आर/794/2002	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
13.	श्रवण सिंह	आर/842/2002	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
14.	रमेश देवासी	आर/1821/2008	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
15.	नरेन्द्र सिंह	आर/3457/2006	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
16.	विक्रम सिंह राजपुरोहित	आर/1243/2005	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
17.	ललित किशोर सैन	आर/2432/2012	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
18.	नरेन्द्र गहलोत	आर/761/2002	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
19.	ओम प्रकाश चौधरी	आर/1241/2009	सहायक राजकीय अधिवक्ता
20.	रविन्द्र सिंह	आर/636/2017	सहायक राजकीय अधिवक्ता
21.	पवन कुमार भाटी	आर/1672/2020	सहायक राजकीय अधिवक्ता

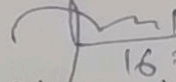
सेवा शर्त:-

- अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक तथा सहायक राजकीय अधिवक्ता का मुख्यालय जोधपुर होगा।
- अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक तथा सहायक राजकीय अधिवक्ता को मासिक रिटैनेरशिप, एपीरियेन्स फीस, ड्राफ्टिंग व सैटलिंग चार्जेज विभागीय आदेश क्रमांक प012(03)राज/वाद/18 पार्ट, जयपुर, दिनांक 10.02.2024 एवं भविष्य में समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार देय होंगे।
- अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये समस्त प्रकृति के फौजदारी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे।
- वह उक्त पदों के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना, विद्वान महाधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर के निर्देशानुसार करेंगे।


16.8.24-

5. वह अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
6. वह किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ड्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों / निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

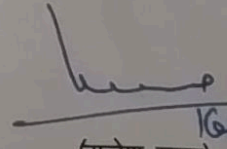

16.8.24

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. प्रशासक वादकरण, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
11. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
12. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
13. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित अधिवक्तागण।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कराये जाने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।


16.8.24

(राजेश गुप्ता)

शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(6) राज/वाद/24

जयपुर दिनांक 16/8/24

:: आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18(1) एवं राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफैयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 14 व 15 के अनुसरण में राज्यपाल महोदय की आज्ञा से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से आपराधिक प्रकरणों के संचालन/पैरवी करने हेतु निम्नांकित सूची के कॉलम संख्या-02 में वर्णित अधिवक्तागण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-04 में वर्णित पद पर कार्यभार संभालने की तिथि से अग्रिम आदेशों तक, के लिए निम्नांकित सेवा शर्तों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है:-

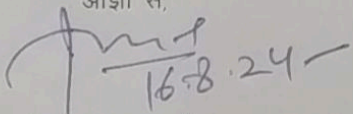
क्र०सं०	नाम अधिवक्ता (सर्वश्री/श्रीमती/ सुश्री)	पंजीयन क्रमांक	पदनाम
1	2	3	4
1.	मंजू दवे	आर/341/1989	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
2.	रक्षपाल कुलदीप	आर/817/1993	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
3.	राजेन्द्र सिंह शेखावत	आर/387/1997	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
4.	नरेन्द्र सिंह धाकड़	आर/2449/2002	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
5.	सुदेश कुमार सैनी	आर/1290/2001	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
6.	जितेन्द्र सिंह राठौड़	आर/154/2000	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
7.	अमित कुमार पूनिया	आर/150/1999	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
8.	विजय सिंह यादव	आर/182/2004	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
9.	अमित कुमार गुप्ता	आर/2089/2008	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
10.	विवेक	आर/1984/2009	अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
11.	ऋषि राज सिंह राठौड़	आर/2323/2004	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
12.	आरती शर्मा	आर/3214/2004	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
13.	तपेश अग्रवाल	आर/1836/2007	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
14.	विवेक चौधरी	आर/2286/2009	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
15.	जयप्रकाश तिवाड़ी	आर/827/2010	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
16.	औंकार सिंह राजपुरोहित	आर/1578/2011	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
17.	नरेश कुमार गुप्ता	आर/1151/2012	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
18.	मानवेन्द्र सिंह शेखावत	आर/1767/2012	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
19.	श्रीराम धाकड़	आर/1278/2014	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
20.	मानवेन्द्र सिंह	आर/1925/2014	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
21.	देवी सिंह	आर/1119/1997	उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक
22.	गौरव गुप्ता	डी/6929/2018	सहायक राजकीय अधिवक्ता

सेवा शर्त:-

- अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक तथा सहायक राजकीय अधिवक्ता का मुख्यालय जयपुर होगा।
- अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक तथा सहायक राजकीय अधिवक्ता को मासिक रिटर्नशिप, एपीरियेन्स फीस, ड्राफ्टिंग व सैटलिंग चार्जज विभागीय आदेश क्रमांक प012(03)राज/वाद/18 पार्ट, जयपुर, दिनांक 10.02.2024 एवं भविष्य में समय-समय पर यथा संशोधित आदेशों के अनुसार देय होंगे।

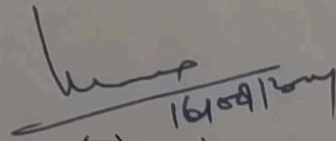
16.8.24

3. अतिरिक्त/उप राजकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उन्हें सौंपे गये समस्त प्रकृति के फौजदारी प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे।
4. वह उक्त पदों के लिए नियत सभी कर्तव्यों की पालना, विद्वान महाधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर के निर्देशानुसार करेंगे।
5. वह अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 एवं राजकीय वादकरण नीति, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) में अंकित कर्तव्यों का पालन भी करेंगे।
6. वह किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का, जिनमें राजकीय हितों का उनसे विरोध हो, ऐसा कोई मामला (ब्रीफ) स्वीकार करने के अधिकारी नहीं होंगे।
7. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों / निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

 16.8.24
 (ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
 प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
4. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
9. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
10. प्रशासक वादकरण, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
11. समस्त गवर्नमेंट काउन्सिल, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
12. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवाकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
13. समस्त जिला कलक्टर/पुलिस अधीक्षक/विभागाध्यक्ष।
14. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजस्थान।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
16. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
17. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
18. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
19. संबंधित अधिवक्तागण।
20. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
21. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
22. आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा, वादकरण।
23. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कराये जाने हेतु।
24. रक्षित पत्रावली।


 16.8.24
 (राजेश गुप्ता)
 शासन सचिव, विधि